राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
National Institute of Fashion Technology
वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार / (Ministry of Textiles, Govt. of India)
भोपाल उपमार्ग सड़क, भौरी, भोपाल – 462030 / Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030
Website: nift.ac.in/Bhopal, Tel. (दूरभाष) 0755-2493736

# चाय की दुकान चलाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)
# Expression of Interest (EOI) for Running the Tea Stall

## परिचय:

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना 1986 में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसे फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में शिक्षा और अनुसंधान के प्रचार और विकास के लिए 2006 में संसद के अधिनियम (निफ्ट अधिनियम 2006) के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। निफ्ट अपने 18 केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में फैशन व्यवसाय शिक्षा प्रदान करता है। निफ्ट फैशन के क्षेत्र में व्यवसायिकों और छात्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन और प्रौद्योगिकी में चार साल का स्नातक (यूजी) कार्यक्रम, डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी में दो साल का स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम और अल्पकालिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। निफ्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके परिसर बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दमन, गांधीनगर, भोपाल, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पटना, पंचकूला, रायबरेली, शिलांग ,श्रीनगर और वाराणसी में स्थित हैं।

निफ्ट भोपाल ने अपना संचालन वर्ष 2008 में एक अस्थायी परिसर: निफ्ट ब्लॉक, एम.पी.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार रोड, भोपाल में शुरू किया और अब भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल - 462030 में अपने स्थायी परिसर में वर्ष 2022 में स्थानांतरित हो गया है। वर्तमान में निफ्ट भोपाल में लगभग 800+ विद्यार्थी और 120 कर्मचारी हैं।

हम परिसर में चाय की दुकान संचालित करने के लिए एक सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया में हैं। ईओआई विवरण, निर्देश, नियम और शर्तें, आदि, जिन पर अनुबंध दिया जाना है, बाद के पृष्ठों में दिए गए हैं।

- एक सीलबंद लिफाफे में विधिवत भरे हुए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) फॉर्म के दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाना चाहिए या केवल पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि अंतिम तिथि तक संस्थान पहुंच सके।
- ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि के बाद खोली जाएगी।
- अधिक जानकारी के लिए, कृपया टी स्टॉल के लिए नियम और शर्तें देखें।
- संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी या सभी रूचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।
I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

- ईओआई जमा करने से पहले, सेवा प्रदाता को सलाह दी जाती है कि वह संभावित असाइनमेंट के लॉजिस्टिक्स से खुद को अवगत कराने के लिए संस्थान का दौरा करे।

- टी स्टॉल निफ्ट के छात्रों, कर्मचारियों, आगंतुकों और अतिथि संकाय को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है।

- निफ्ट के कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए सेवाओं की सुविधा के लिए छुट्टियों के दौरान भी चाय की दुकान साल भर खुली रहेगी और पूरे दिन काम करने का समय सुबह 06.30 बजे से रात 09.30 बजे तक रहेगा।

- निदेशक के पास ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन करने या वापस लेने या किसी भी या सभी एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट को बिना कोई नोटिस दिए या कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और न्यूनतम अभिव्यक्ति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस संबंध में निफ्ट भोपाल के निदेशक का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

<u>पात्रता मापदंड</u>:

1. सेवा प्रदाता के पास समान प्रकार का व्यवसाय या गतिविधि चलाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
2. एमएसएमई पंजीकृत फर्म / वेंडर को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी।
3. अनुबंध- I और अनुबंध- II के अनुसार।

<u>संस्थान द्वारा विस्तारित की जाने वाली सुविधाएं</u>:

1. संस्थान निर्दिष्ट स्थान पर सुविधाओं के संचालन के लिए स्थान प्रदान करेगा।
2. मीटर आधारित रीडिंग पर वास्तविक खपत के अनुसार बिजली और पानी का शुल्क लिया जाएगा।

<u>सेवा प्रदाता के दायित्व</u>:

1. सेवा प्रदाता सुविधा को संचालित करने के लिए केवल निर्धारित स्थान का उपयोग करेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं करेगा।
2. सेवा प्रदाता हर समय क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। सभी उत्पन्न कचरे को अलग-अलग डिब्बे (सेवा प्रदाता द्वारा रखे जाने के लिए) में एकत्र किया जाना चाहिए और प्रतिदिन निकटतम कचरा संग्रह केंद्र में पहुंचाना चाहिए।
3. प्रदान की गई जगह का मामूली काम (रखरखाव) और रोशनी, पंखे, जल निकासी आदि का नियमित रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
4. अनुबंध समाप्त होने पर, ठेकेदार प्रदान की गई जगह को अच्छी कार्यशील स्थिति में वापस निफ्ट, भोपाल को सौंप देगा।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।
I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

किराया और अन्य शुल्क:

1. दुकान चलाने के लिए न्यूनतम लाइसेंस शुल्क रु.2000/- (रुपये, दो हजार) प्रति माह निर्धारित की जाती है जो बोलीदाता के द्वारा प्रस्तुत अधिकतम लाइसेंस शुल्क के बाद परिवर्तित हो जाएगी।
2. मासिक लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त मीटर आधारित रीडिंग पर वास्तविक खपत के अनुसार विद्युत एवं जल शुल्क देय होगा।
3. लाइसेंसधारी द्वारा मासिक लाइसेंस शुल्क प्रत्येक माह की 7 तारीख तक एनईएफटी/आरटीजीएस/ऑनलाइन/डीडी(डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा। निर्धारित तिथि के उपरांत प्रत्येक दिवस 100/- विलंब शुल्क लागू होगा ।
4. अनुज्ञप्तिधारी कार्य/संविदा के प्रारंभ होने से पूर्व निफ्ट के पास सुरक्षा निधि राशि के रूप में रु.10,000/- (केवल दस हजार रुपये) जमा करेगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, और राशि अनुबंध के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद और देय राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद वापस कर दी जाएगी। इसे केवल एनईएफटी/आरटीजीएस/ऑनलाइन/डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) ट्रांसफर के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। यदि डीडी द्वारा भुगतान किया जाता है तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), भोपाल के पक्ष में एक डीडी तैयार करें। निफ्ट भोपाल बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:

निफ्ट सामान्य खाता संख्या: 549102010009108

| | |
|---|---|
| बैंक | : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोलार रोड, भोपाल-462041 |
| **IFSC** | **: UBIN0554910** |

इस भुगतान का एक प्रमाण (यूटीआर कोड नंबर) accountteam.bhopal@nift.ac.in पर भेजा जाना है।

सेवा प्रदाता के लिए सामान्य नियम और शर्तें:

1. सप्ताह के सभी दिनों में दुकान सुबह 06.30 बजे से रात 09.30 बजे तक खुली रहनी चाहिए। अन्य दिनों दुकान बंद करने के लिए निफ़्ट भोपाल से अनुमति लेनी होगी ।
2. कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 03 दिनों के भीतर बोलीदाता को चाय की दुकान (टी स्टॉल) चलाने के लिए तैयार होना चाहिए।
3. निफ्ट को ईओआई दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के लिए प्रत्येक चूक के लिए न्यूनतम रु.500/- प्रतिदिन का जुर्माना लगाने का अधिकार है।
4. परिसर में प्रतिस्पर्धी दरों पर सेवाएँ प्रदान करनी की जानी है। टी स्टॉल के भीतर अनुपयोगी वस्तुओं या किसी अन्य वस्तु का कोई कचरा नहीं होना चाहिए। टी स्टॉल और सेवा क्षेत्रों के अंदर हाउसकीपिंग पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
5. ठेकेदार चाय की दुकान में निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराएगा (प्लास्टिक के कंटेनर/कप/मग/बर्तन का उपयोग नहीं किया जाएगा, चाय और कॉफी के लिए केवल हेंडलवाले कप।मग का प्रयोग किया जाएगा, इसके अतिरिक्त उपभोक्ता के अनुसार दोबारा इस्तेमाल होने योग्य / डिस्पोजेबल बर्तन का प्रयोग किया जाएगा)
   i. दूध की चाय - 150 मिली
   ii. टी ब्लैक/ग्रीन - 150 मिली

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।
I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

iii. कॉफी (बीट) दूध - 200
iv. कॉफी ब्लैक - 200
v. इंस्टेंट नूडल्स
vi. बटर बन
vii. ब्रेड ऑमलेट
viii. उबला हुआ अंडा
ix. पॉपकॉर्न
x. कुकीज़
xi. फास्ट फूड

6. ठेकेदार को दुकान में बेची जाने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। निफ्ट भोपाल में टी स्टॉल में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतें स्थानीय बाजार दर से अधिक नहीं होंगी और नियमित आधार पर निफ्ट अधिकारियों की समिति द्वारा अनुमोदित और समीक्षा की जाएंगी। स्वीकृत दर सूची ठेकेदार द्वारा टी स्टॉल क्षेत्र के भीतर एक उचित स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।
7. ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारी सीधे ठेकेदार द्वारा पर्यवेक्षित और नियंत्रित होंगे, और निफ्ट के साथ उनका कोई संबंध नहीं होगा। निफ्ट के पास ऐसे कर्मचारियों को नियंत्रित या पर्यवेक्षित करने या कानून के तहत अनुमत के अलावा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसे कर्मचारियों का निफ्ट में किसी भी अस्थायी या स्थायी पद के विरुद्ध सेवा या सेवाओं के नियमितीकरण के लिए निफ्ट के साथ/पर कोई दावा नहीं होगा। सभी उद्देश्यों के लिए, ठेकेदार उनका प्रधान नियोक्ता होगा।
8. ठेकेदार के लिए निम्नलिखित स्वच्छता और सफाई के उपाय करना अनिवार्य होगा: (क) दुकान क्षेत्र को दिन में दो बार साफ करना, (ख) दिन के अंत में बर्तनों को गर्म पानी में भिगोना, (ग) क्रॉकरी को डिटर्जेंट का उपयोग करके गर्म पानी से धोया जाना चाहिए, (घ) पाइप लाइन की सफाई अगर चोक हो जाए , (ड) कीटनाशकों का समय-समय पर छिड़काव, (च ) दिन समाप्त होने पर डिटर्जेंट के साथ वॉश बेसिन की पूरी तरह से सफाई।
9. ठेकेदार द्वारा लगाए गए टी स्टॉल के कर्मचारी: (क) हर समय पेशेवर विनम्र व्यवहार बनाये रखेंगें, (ख) स्टाफ को साफ-सुथरे काम के कपड़े, एप्रन, दस्ताने आदि पहनने चाहिए। (ग) टी स्टॉल के कर्मचारी बीड़ी नहीं पीएंगे। परिसर में सिगरेट या मादक पेय का सेवन नहीं किया जाना चाहिए और पान , गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन करने की अनुमति नहीं है ।
10. ठेकेदार चाय की दुकान और निफ्ट भोपाल परिसर में किसी भी प्रकार की सिगरेट, बीड़ी, पान, शराब आदि की बिक्री नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इन गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत परिसर छोड़ने के लिए कहा जाएगा और ठेकेदार इस शर्त के उल्लंघन के लिए अनुबंध को रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।
11. ठेकेदार भुगतान के आधार पर निफ्ट भोपाल परिसर में निर्दिष्ट स्थानों पर निफ्ट कर्मचारियों को आइटम परोसने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा। ठेकेदार आवश्यकता के अनुसार भुगतान के आधार पर आधिकारिक बैठकों और सम्मेलनों में आइटम परोसने की व्यवस्था भी करेगा।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।
I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

12. निफ्ट भोपाल के पास सेवा प्रदाता को एक महीने का लिखित नोटिस देने के बाद लाइसेंस रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है और सेवा प्रदाता द्वारा किए गए विकास और परिचालन कार्य का निरीक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार भी है और सेवा प्रदाता को निफ्ट भोपाल द्वारा जारी आदेश एवं निर्देश का पालन करना होगा।सेवा प्रदाता द्वारा संस्थान-विरोधी या अनाधिकृत गतिविधियों के पाए जाने पर अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
13. सेवा प्रदाता को अपने आवंटित स्थान और सहायक उपकरण पर हर समय नियमित सफाई, स्वच्छ स्थिति और उपयुक्त परिसर जैसा अनुशासन सुनिश्चित करना होगा, जिसकी घोर उपेक्षा करने पर, अनुबंध को समय से पहले समाप्त करने सहित भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
14. दुकान केवल संस्थान के लाभार्थियों द्वारा उपयोग के लिए खुली रहेगी। इस प्रकार, सेवा प्रदाता न तो परिसर के बाहर से किसी उपयोगकर्ता को आमंत्रित/सेवा प्रदान करेंगे और न ही आश्रय देंगे। इस व्यक्त शर्त का उल्लंघन करने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा ।
15. संस्थान को किसी भी स्तर पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को रद्द करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा और इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
16. चाय की दुकान पर किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं किया जायेगा।
17. सेवा प्रदाता द्वारा श्रम कानूनों आदि के सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।
18. सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। आग बुझाने के यंत्र सुलभ स्थानों पर स्थापित होने चाहिए और काम करने की स्थिति में होने चाहिए।
19. किसी भी स्तर पर काम को उप-अनुबंध (सबलेट/सब-कॉन्ट्रैक्ट) पर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
20. यदि सेवा प्रदाता या उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी , किसी के साथ झगड़ा या दुर्व्यवहार करते हुए या किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो संस्थान द्वारा अनुबंध समझौते को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में, सेवा प्रदाता को 3 दिनों के भीतर परिसर खाली करना होगा।
21. ईओआई जमा करने से पहले, बोलीदाता / इच्छुक उम्मीदवार द्वारा साइट चेकिंग के लिए संस्थान विजिट किया जा सकता है ।

<u>नियम और शर्तें</u>:

1. अनुबंध की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी जिसे निफ्ट भोपाल के निर्णय के साथ प्रतिक्रिया और प्रदर्शन के आधार पर एक - एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।इस प्रकार यह अनुबंध अवधि कुल तीन वर्ष की हो सकती है ।
2. निर्धारित संपत्ति निफ्ट भोपाल के पूर्ण कब्जे में रहेगी और वर्तमान समझौता केवल सेवा प्रदाता को सहमत उद्देश्यों के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति देता है।
3. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का संस्थान की गठित समिति द्वारा औचक निरीक्षण/निगरानी की जाएगी । भवन/आवंटित स्थान/परिसर का निरीक्षण प्रत्येक माह निफ्ट भोपाल द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों/अधिकारियों के दल द्वारा किया जायेगा। इस टीम द्वारा देखे गए सभी नुकसान/टूट-फूट आदि को निरीक्षण के दस दिनों के भीतर सेवा प्रदाता द्वारा ठीक कर दिया जाएगा,

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।
I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

जिसमें विफल होने पर निफ़्ट भोपाल मरम्मत/नवीकरण कार्य करेगा और सेवा प्रदाता को लागत डेबिट करेगा और भुगतान न करने की स्थिति में सेवा प्रदाता की सुरक्षा जमा राशि से समायोजित किया जाएगा।

सेवा प्रदाता प्रदान किए गए स्थान में संरचनाओं, काउंटरों और जुड़नारों को स्थापित करने के किसी भी संशोधन को करने से पहले निफ्ट भोपाल की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

4. आवंटित स्थान की हाउसकीपिंग सेवा प्रदाता द्वारा अपने खर्चे पर की जायेगी।
5. यदि सेवा प्रदाता लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद या अनुबंध की समाप्ति की नोटिस अवधि के एक महीने के बाद आवंटित स्थान/भवन को खाली नहीं करता है, तो सेवा प्रदाता लागू अन्य शुल्कों के अतिरिक्त 1000/- रुपये के दैनिक दंडात्मक किराए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
6. सेवा प्रदाता आवंटित स्थान/भवन को बुनियादी ढांचे के साथ निफ्ट भोपाल को वापस सौंप देगा।
7. सेवा प्रदाता दुकान/आवंटित स्थान के आस-पास केवल निर्दिष्ट अनुमोदित गतिविधियों को ही संचालित करेगा और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन में कोई भी अनिर्दिष्ट गतिविधियां नहीं करेगा। यदि सेवा प्रदाता किसी भी गैर-अनुमोदित गतिविधियों को करने में शामिल होता है, तो निफ्ट भोपाल लाइसेंस समझौते को तुरंत रद्द करने के लिए स्वतंत्र है।
8. निफ्ट भोपाल सेवा प्रदाता को एक महीने का लिखित नोटिस देकर लाइसेंस रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और सेवा प्रदाता द्वारा किए गए विकास और परिचालन कार्य का निरीक्षण और नियंत्रण करने का अधिकार भी रखता है और सेवा प्रदाता को निफ्ट भोपाल द्वारा जारी आदेश एवं निर्देश का पालन करना होगा। सेवा प्रदाता द्वारा संस्थान-विरोधी या अनाधिकृत गतिविधियों के पाए जाने पर अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
9. सेवा प्रदाता आवंटित स्थान/दुकान में निफ्ट भोपाल के नियमों, विनियमों तथा वर्तमान में लागू कानून के अनुसार गतिविधियों का संचालन करेगा और इसके उल्लंघन में और किसी भी स्थिति में गतिविधियों को अंजाम नहीं देगा। निफ्ट भोपाल के नियमों और देश के कानून के नियमों, विनियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए, पहली पार्टी बिना कोई कारण बताए लाइसेंस रद्द करने के लिए स्वतंत्र है।
10. दुकान/आवंटित स्थान पर पूरी तरह से साफ-सफाई और स्वच्छ रखनी होगी। सेवा प्रदाता की गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कहीं भी फेंका गया कोई भी कूड़ा सेवा प्रदाता द्वारा ही साफ/एकत्रित किया जाएगा।
11. ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सभी वस्तुओं को उचित रूप में गुणवत्ता बनाए रखकर परोसा जाना चाहिए। सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पुरानी/बासी वस्तु न बेची जाए। यह अनिवार्य है कि FSSAI द्वारा निर्धारित स्वच्छता के मानदंड सेवा प्रदाता द्वारा बनाए रखे जाएं। उपरोक्त के उल्लंघन से अनुबंध की तत्काल समाप्ति हो सकती है।
12. कचरा एकत्र करना और उचित तरीके से निपटान करना सेवा प्रदाता की एकमात्र जिम्मेदारी है। किसी भी परिस्थिति में अपशिष्ट का निपटान सीवेज पाइपों या नालियों के माध्यम से नहीं किया जाएगा।
13. प्लास्टिक से बनी डिस्पोजेबल सामग्री जैसे प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ आदि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सभी आइटम/उपकरण/भंडारण/डिस्प्ले आवंटित क्षेत्र के भीतर होने चाहिए।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।
I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

यदि सेवा प्रदाता उपरोक्त नियमों और शर्तों से सहमत है, उपरोक्त पात्रता शर्तों को पूरा करता है और उपरोक्त गतिविधियों को चलाने में रुचि रखता है, तो उसे ईओआई के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी देनी होगी।

1. नीचे दिए गए प्रारूप में संपर्क विवरण (पता, टेलीफोन, ईमेल आईडी, आदि) लिखे।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संस्था / मालिक का नाम | |
| 2. | संस्था/मालिक का पता | |
| 3. | पंजीकरण संख्या (यदि उपलब्ध हो) | |
| 4. | संपर्क विवरण | |
| | • मोबाईल नंबर | |
| | • ईमेल आईडी | |
| 5. | पैन नंबर | |
| 6. | जीएसटी नंबर | |
| 7 | एफ़एसएसएआई पंजीकरण विवरण | |
| 8 | किसी भी सरकारी / अर्धसरकारी / शैक्षणिक संस्थान में टी स्टॉल का कुल वर्षों का अनुभव | |

नोट: उपरोक्त बयानों के समर्थन में सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।

2. रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) निर्धारित दस्तावेजों के साथ सभी तरह से पूर्ण है, इसे प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), भोपाल बाईपास रोड, भौरी, भोपाल -462030 को सीलबंद लिफाफे में जमा और संबोधित किया जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर "निफ्ट भोपाल में चाय की दुकान चलाने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई)" लिखा होना चाहिए।

3. ईओआई के सभी कागजात पर संगठन/मालिक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और मोहर लगाई जानी चाहिए।

4. ईओआई उपरोक्त पते पर अंतिम तिथि को या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त ईओआई पर विचार नहीं किया जाएगा। निफ्ट भोपाल डाक/कूरियर विलंब/हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।
I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

## निफ्ट भोपाल को लाइसेंस शुल्क के भुगतान का प्रस्ताव

मैं/हम निफ्ट भोपाल में चाय की दुकान के संचालन के लिए निफ्ट भोपाल को रु...................... प्रति माह लाइसेंस शुल्क (बिजली शुल्क और पानी शुल्क को छोड़कर) भुगतान करने की पेशकश करता हूं/करते हैं।
(शब्दों में, रुपये ............................................................ प्रति माह)
(कृपया अंकों और शब्दों में राशि का उल्लेख करें) + जीएसटी जो भी लागू हो।

चयन के मानदंड के लिए वेटेज दिया जाता है - उद्धृत उच्चतम लाइसेंस शुल्क।

घोषणा:
मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर :

मालिक/फर्म का नाम :

पता :

तारीख :
मोबाइल नंबर :
ईमेल आईडी :

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।
I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मोहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal